भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान केंद्र, बेंगलुरु
REGIONAL CAPACITY BUILDING AND KNOWLEDGE CENTRE, BENGALURU

सं.क्षे.क्ष.नि.एवं ज्ञा.कें./बेंग./प्रशा./2023-24/321 दिनांक: 08.01.2024

परिपत्र

मुख्यालय कार्यालय के दिनांक 26.09.2023 के पत्र सं.1346-स्टाफ (नियु.1)/22-2016 के अधीन जारी परिपत्र सं.30 में निर्धारित निबंधन व शर्तों के अनुसार क्षे.क्ष.नि. एवं ज्ञा.कें., बेंगलूरु में अल्पकालिक संविदा के आधार पर परामर्शदाता के रूप में कार्य करने हेतु सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्र.सं.	पद का नाम	प्रस्तावित रिक्तियां जो भरी जानी हैं	पात्रता मानदंड
1	निजी सचिव	01	सेवा निवृत्त निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक/पर्यवेक्षक/सहा. पर्यवेक्षक/वरि. लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक/वरि. लेखाकार/लेखाकार
2	वरिष्ठ लेखापरीक्षक	01	सेवा निवृत्त पर्यवेक्षक/सहा. पर्यवेक्षक/वरि. लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक/वरि. लेखाकार/लेखाकार

संविदात्मक अधिकारियों/कर्मचारियों पर निम्नलिखित सामान्य निबंधन व शर्तें लागू होंगी:

1. आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. सेवा-निवृत्त अधिकारियों को प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए काम पर रखा जाएगा, जिसे कार्य-निष्पादन व सेवा की आवश्यकता के आधार पर अधिकतम 05 कार्यकाल अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।
3. देय पारिश्रमिक एवं भत्ते व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 09.12.2020 के का.ज्ञा. सं.3-25/2020-ई.IIIए द्वारा नियंत्रित होंगे जो निम्नप्रकार हैं:
   क. सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक राशि का भुगतान किया जाएगा जो सेवा-निवृत्ति के समय आहरित वेतन से मूल पेंशन को काटकर प्राप्त की जाएगी। इस प्रकार नियत की गई राशि संविदा की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।
   ख. निवास स्थान और कार्यस्थल के बीच आवागमन हेतु परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और निश्चित राशि दी जाएगी जो नियुक्त व्यक्ति पर सेवा निवृत्ति के समय लागू दर से अधिक नहीं होगी।
   ग. संविदा के दौरान कोई वार्षिक वेतन-वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि, महंगाई भत्ता तथा मकान किराया भत्ता नहीं दिए जाएंगे।
4. अल्पकालिक संविदा के आधार पर नियुक्त सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह हेतु 1.5 दिन की दर से सवेतन अनुपस्थिति अवकाश दिया जाएगा। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक समय तक छुट्टियों के संचय की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, कर्फ्यू, बंद, हड़ताल, लॉकडाउन आदि के दौरान अनुपस्थिति के मामलों में उसी तरह कार्रवाई की जानी चाहिए जैसे सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में की जाती है।

5. यदि अल्पकालिक संविदा पर नियुक्त सेवा-निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी उपर्युक्त के अलावा किसी अन्य कारण से एक महीने में सवेतन अवकाश के बाद भी अनुपस्थित रहता है तो परिवहन भत्ते सहित उसका पारिश्रमिक निम्नप्रकार से आनुपातिक आधार पर काटा जाएगा:

$$\text{निश्चित मासिक पारिश्रमिक} \times \frac{\text{कार्य दिवस पर अनुपस्थिति के दिनों की संख्या}}{22}$$

6. संघ/सरकार द्वारा लगिया गई वैधानिक कटौतियां नियमानुसार की जाएंगी।
7. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर होगी और किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
8. अल्पकालिक संविदा पर नियुक्त होने के लिए चयनित सेवा-निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को एक गोपनीयता के समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे जिसमें नैतिकता और सत्यनिष्ठा का एक खंड शामिल होगा।

सेवा-निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उपर्युक्त कार्य करने के इच्छुक हैं, वे अपना बायोडाटा प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी प्रकार से विधिवत् भरे गए आवेदन डाक द्वारा या rtcbangalore@cag.gov.in के माध्यम से दिनांक 19.01.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त होने चाहिए।

(प्राधिकार: प्रधान निदेशक, क्षे.क्ष.नि. एवं ज्ञा.कें., बेंगलूरु के दिनांक 30.12.2023 का आदेश)

व.ले.प.अ./प्रशा. & मुख्य संकाय-सामान्य पाठ्यक्रम
क्षे.क्ष.नि. एवं ज्ञा.कें., बेंगलूरु